

"मजबूत लोकतन्त्र सबकी भागीदारी"
जिला निर्वाचन कार्यालय (प्रथम तल मार्केट कमेटी भवन) जिला ऊना।

संख्या: ई.एल.एन.-ऊना-5-16/2019-
प्रेषक

दिनांक: 20/01/2020

जिला निर्वाचन अधिकारी(उपायुक्त),
जिला ऊना (हि.प्र.)।

सेवा में

समस्त कार्यालयाध्यक्ष,
जिला ऊना।

विषय:- 10वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, 2020 के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर, मुझे यह कहना है कि हर वर्ष की भान्ति इस बार भी 25 जनवरी, 2020 को जिला स्तर, उपमण्डल स्तर तथा समस्त मतदान केन्द्रों पर 18 वर्ष से अधिक की आयु के पात्र युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज करने और मतदान में मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 10वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत समस्त सरकारी विभागों/कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा लोकतंत्र में भागीदारी बारे शपथ ली जानी अपेक्षित है।

अतः शपथ की प्रति सलग्र भेजकर आपसे अनुरोध है कि दिनांक **25-01-2020** को **11 बजे** पूर्वाह्न अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को शपथ दिलवाकर कृत कार्यवाही बारे इस कार्यालय को अवगत करने की कृपा करें।

भवदीय,

20/01/2020
संदीप कुमार (भा. प्र. से.)
जिला निर्वाचन अधिकारी(उपायुक्त),
ऊना, जिला ऊना (हि.प्र.)।

सलग्र: (1)

पृष्ठांकन संख्या: ई.एल.एन.-ऊना-5-16/2019-
प्रतिलिपि प्रेषित:-

दिनांक: /01/2020

समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जिला ऊना को आम्नामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

20/01/2020
जिला निर्वाचन अधिकारी(उपायुक्त),
ऊना, जिला ऊना (हि.प्र.)।

पृष्ठांकन संख्या:- शिक्षा जी - 2 आर (विविध) Vol-5/2019...15.6.9.4.....
कार्यालय शिक्षा उप निदेशक (उच्चतर) ऊना जिला ऊना (हि०प्र०)

Email ID: - ddhe-una-hp@gov.in

समस्त प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापक रा०वा०मा० / रा० उच्च० पाठशालाए जिला ऊना (हिमाचल प्रदेश) को सूचना तथा आबश्यक कार्याबाही हेतु प्रेषित है।

शिक्षा उप निदेशक उच्चतर
ऊना जिला ऊना (हि०प्र०)

G-II

20/01/20

21/01/20

9089

21/01/20

मतदाताओं द्वारा ली जाने वाली शपथ

“हम भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे”।